केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00135

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00224

अपीलकर्ता श्रीमती लक्ष्मी निशपुरे

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	04.04.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	25.04.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.05.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन बाला CPIO, DS (RTI Cell)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.06.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30.06.2025
निर्णय की तारीख	09.07.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.04.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

"रामनाथ पिता तम्मन ने अनुचित एवं असंवैधानिक तरीके से 420 Forger करने नौकरी प्राप्त की मुझे इसका कोर्ट File करने हेतु joining संबंधी दस्तावेज, रामनाथ एवं बत्तल बाई का B – Form, Form LTC रिकॉर्ड आदि की सत्य एवं प्रमाणित प्रतिलिपि आज तक RTI की कोई सूचना या जवाब अनुउपलब्ध।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 20.05.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना केंद्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है एवं सूचना से संबंधित कार्यालय का नाम व पता भी ज्ञात नहीं है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अग्रसारित भी नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना आयोग केवल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलीय अधिकरण है।"

3. प्रथम अपील का आधार
" कोई जानकारी प्रदान नहीं कर रहे है।"

4. निर्णय
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00224 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में कहा है की कोई जानकारी प्रदान नहीं कर रहे जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2025 को ही सूचना प्रदान की जा चुकी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सल्गन की जा रही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 09.07.2025.

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :
1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

10/7/25

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
10 JUL 2025
D. No. ....
Initials..........